अध्याय VIII

संभावनाएं

8.1 ऐसे समय में जब पूरे विश्व में वित्तीय प्रणाली के सामने गंभीर संकट है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली लचीली बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित मूलभूत तत्वों से बैंकिंग क्षेत्र, जो लाभप्रद और अच्छी तरह पूंजीकृत बना हुआ है, के सुदृढ़ कार्य-निष्पादन को समर्थन मिलना जारी रहेगा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की शक्ति कुछ वर्षों में किए गए सुविचारित और समंजित उपायों को दर्शाता है। तथापि भारत में वित्तीय बाजार वैश्विक वित्तीय स्थिति के अप्रत्यक्ष प्रभावों को बर्दाश्त कर रहे हैं जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की अनिश्चितता तथा चिंता को दर्शाता है। रिज़र्व बैंक ने स्थिति की आवश्यकतानुसार प्रणाली में चलनिधि का अंतर्वेश किया है। यह स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है और बदलती हुई स्थिति के लिए उपयुक्त कार्यवाही तुरंत और प्रभावी तरीके से करने के लिए तैयार है। यद्यपि बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की गई है, तथापि वित्तीय बाजार के हाल के उथल-पुथल को देखते हुए लाभों को और समेकित करने की जरूरत है।

8.2 चल रहे वैश्विक वित्तीय संकट तथा वित्तीय बाजार की गतिविधियों ने बैंकों और विनियामकों दोनों के समक्ष मौजूद कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सामने अतरल आस्तियों, पूंजी की कमी और प्रतिपक्षकार विश्वास की गिरावट जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं। संकट यह सुझाता है कि जोखिम प्रबंधन एवं पर्यवेक्षी प्रथाएं वित्तीय नवोन्मेष एवं उभरते कारोबारी मॉडलों से पीछे हैं। इस संकट से यह पता चलता है कि किस हद तक बढ़े हुए जोखिम और अभिनव एवं जटिल वित्तीय उत्पादों पर आधारित व्यवसाय मॉडल संस्थाओं के वित्तीय स्वास्थ्य तथा वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह इस बात का संकेत करता है कि संकट के दौरान चलनिधि जोखिम कई गुना बढ़ सकता है तथा वह समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर डाउनसाइड जोखिम उत्पन्न कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि विनियामक/पर्यवेक्षक नयी लिखतों के अंतर्निहित जोखिमों का निकट से मूल्यांकन करें।

8.3 रिज़र्व बैंक ने एक ऐसी प्रणाली पहले ही स्थापित कर ली है जो अत्यंत अल्प समय में चलनिधि जोखिम, प्रणालीगत स्तर पर और संस्थागत स्तर पर जोखिम को कम कर सकें। पूंजीगत अपेक्षाओं को और सुदृढ़ करने के लिए, ऋण परिवर्तन कारकों, डेरिवेटिव सहित विशिष्ट तुलनपत्र बाह्य मदों के लिए जोखिम भार एवं प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं की समीक्षा की गई है। इसके अलावा, भारत में संश्लेषित प्रतिभूतीकरण जैसी जटिल संरचनाओं की अनुमति अब तक नहीं है। उपयुक्त पाए जाने पर ऐसे प्राडक्टों को लागू करना प्रणाली की जोखिम प्रबंधन क्षमताओं द्वारा दिशानिर्दिष्ट होगा।

8.4 जहां समग्र नीतिगत दृष्टिकोण देशी वित्तीय बाजारों एवं अर्थव्यवस्था पर उथल-पुथल के संभाव्य प्रभाव को शांत करने में समर्थ रहा है, वहीं शेष विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके वित्तीय बाजारों का बढ़ता समेकन इन अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के कारण डाउनसाइड जोखिम प्रस्तुत करता है। ये जोखिम मुख्यतः धारणीय मध्यावधि आधार पर पूंजीगत प्रवाहों के विपर्यय, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनुमानित मंदी, तथा संभाव्य वित्तीय संक्रमण के कुछ तत्वों से उत्पन्न होते हैं। भारत में संविभाग इक्विटी प्रवाह, देशी विदेशी मुद्रा बाजार और चलनिधि स्थितियों के विपर्यय के कारण अब तक इक्विटी बाजारों पर बड़े स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव महसूस किए गए हैं।

8.5 भारत स्थित बैंकों के पास जोखिमों के उचित आकलन की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। बैंकों के समक्ष वित्तीय प्राडक्टों के नवोन्मेष और प्रौद्योगिकीय उन्नति से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त कौशल विकसित करने की चुनौती है। रिज़र्व बैंक जोखिम प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने हेतु तथा चलनिधि एवं ऋण जोखिम प्रबंधन दोनों के संदर्भ में तनाव परीक्षण प्रयोग करने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करता रहा है। इस संदर्भ में भरोसेलायक आंकड़े/जानकारी की उपलब्धता बैंकों तथा बैंकिंग प्रणाली के विनियामकों/पर्यवेक्षकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है तथा मौजूदा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। वित्तीय प्रणाली के विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियमित आधार पर जानकारी प्राप्त होती है। हाल के वैश्विक वित्तीय बाजार के उथल-पुथल को देखते हुए भारत में पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण मानदंडों एवं कारपोरेट अभिशासन प्रथाओं में और सुधार लाने की जरूरत है।

8.6 हालांकि विदेशी बैंक तथा विदेश में उपस्थितिवाले भारतीय बैंक पहले ही बासेल II अपना चुके हैं, इसका पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, अपेक्षित मूलभूत सुविधा और क्षमता निर्माण के रूप में बैंकों तथा रिज़र्व बैंक दोनों के लिए आनेवाले कुछ समय तक एक प्रमुख चुनौती बना रहेगा। प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों पर बैंकों की गुरुतर निर्भरता को देखते हुए कपटपूर्ण कार्यकलापों के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपायों की जरूरत है। जटिल प्राडक्टों तथा विकसित वित्तीय संरचनाओं द्वारा प्रस्तुत जोखिमों से बैंकिंग उद्योग का बचाव करने के लिए पर्यवेक्षणात्मक तथा विनियामक ढांचे को और सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। भारत में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, यद्यपि 2007-08 में, कुल राशि के रूप में अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई थी। अतः सभी संबंधितों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है कि अनर्जक आस्तियों को कम करने के बारे में कठिनाई से प्राप्त लाभ नष्ट न होने पाएं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि उल्लेखनीय वैश्विक मंदी के संदर्भ में अब कुछ आर्थिक मंदी आने की प्रत्याशा है।

8.7 भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सामने कुछ अन्य चुनौतियां हैं। चूंकि कृषि क्षेत्र भारतीय जनसंख्या के बड़े भाग को रोजगार प्रदान करता है तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति को महत्वपूर्ण समर्थन देता है, अतः इस क्षेत्र को समय पर और कम खर्च पर ऋण प्रदान करना बैंकों के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। 2004-05 से 2006-07 के दौरान कृषि को ऋण में पर्याप्त वृद्धि हुई। तथापि, 2007-08 में कृषि ऋण में गिरावट आई तथा इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। यद्यपि 2007-08 में व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, समग्र अर्थव्यवस्था के लिए इस क्षेत्र के अत्यंत महत्व को देखते हुए इस गति को बनाए रखना एक चुनौती है।

मौद्रिक नीति

8.8 मौद्रिक प्रबंधन का कार्य मूल्य स्थिरता, वृद्धि की गति और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच उचित संतुलन के प्रबंधन के आसपास हमेशा केंद्रित रहता है। इन उद्देश्यों पर सापेक्ष बल अंतर्निहित समष्टि आर्थिक स्थितियों के आधार पर समय-समय पर बदलता रहता है। तथापि, वैश्विक वित्तीय हलचल ने वित्तीय स्थिरता के संरक्षण पर विशेष बल देने के महत्व को बढ़ा दिया है। साथ ही, बनी हुई महत्वपूर्ण नीतिगत चिंताएं हैं - मुद्रास्फीति को कम करना तथा वृद्धि का संवर्धन करना । मौद्रिक नीति के संचालन का केंद्रीय कार्य वित्तीय स्थिरता को अधिकाधिक प्राथमिकता दिये जाने के साथ पहले की अपेक्षा और जटिल हो गया है। तदनुसार, 2008-09 की मध्यावधि समीक्षा (अक्तूबर 2008 में जारी) में यह सूचित किया गया कि वित्तीय स्थिरता के संरक्षण, मूल्य स्थिरता बनाए रखने, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं पर लगाम लगाने तथा वृद्धि की गति बनाए रखने के बीच इष्टतम संतुलन बनाने की चुनौती है।

8.9 भारत में, देशी वित्तीय बाजार भी विदेशी हलचल द्वारा गंभीरतापूर्वक प्रभावित हुए हैं, विशेष रूप से इक्विटी बाजारों, जिनमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय माहौल में जोखिम से व्यापक विरुचि तथा अनिश्चितता में वृद्धि दिखाई देती है। उन्नत देशों में चलनिधि के संकट के कारण एफआइ द्वारा भारतीय स्टाक बाजारों में काफी बिक्री की गई जिसके फलस्वरूप भारत से पूंजी का बहिर्वाह हुआ और देशी प्राथमिक पूंजी बाजार में कार्यकलाप में मंदी आई। हाल के महीनों में संविभाग प्रवाह में प्रतिगमन को देखते हुए, रिज़र्व बैंक विनिमय दर पर परिणामी दबाव एवं उसमें मौजूद अस्थिरता का प्रबंधन कर रहा है। ऋण तथा

इक्विटी दोनों में अंतरराष्ट्रीय पूंजी से निधीयन की उपलब्धता में कमी तथा देशी पूंजी बाजार में मंदी ने अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में निधि की उपलब्धता को प्रभावित किया तथा उसके कारण बैंकिंग क्षेत्र से ऋण की मांग बढ़ गई।

8.10 रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में चलनिधि डालने के लिए अनेक नीतिगत उपाय शुरू किए। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीआरआर में 350 आधार अंकों की कटौती, रिपो दर में 250 आधार अंकों की कटौती, रिवर्स रिपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती, एसएलआर में 100 आधार अंकों में कटौती कर उसे एनडीटीएल का 24 प्रतिशत करना, अनिवासी और विदेशी मुद्रा जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा में ऊपरी संशोधन, आपूर्ति-मांग अंतराल पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा की आपूर्ति का आश्वासन, तथा 60,000 करोड़ रुपए की संचयी राशि के लिए विशेष टर्म रिपो शामिल हैं ताकि बैंक म्युचुअल फंडों, एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों की निधीयन संबंधी जरूरतें पूरी करने में समर्थ हो सकें। ईसीबी नीतियों को अक्तूबर 2008 में और उदार बनाया गया। विदेशी शाखाओं अथवा सहायक कंपनियों वाले भारतीय बैंकों को विदेशी मुद्रा चलनिधि प्रदान करने के लिए तीन माह की अवधि वाले विदेशी मुद्रा स्वैप की अनुमति 30 जून 2009 तक कर दी गई है। रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर 2008 को घोषणा की कि यह भारतीय कंपनियों से उनके एफसीसीबी की पुनर्खरीद के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन मार्ग के तहत विचार करेगा, बशर्ते पुनर्खरीद का वित्तपोषण भारत में अथवा विदेश में धारित विदेशी मुद्रा संसाधनों और/या नए ईसीबी में से किया जाए। एफसीसीबी के अवधिपूर्व पुनर्खरीद की नीति की समीक्षा 6 दिसंबर 2008 को की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रक्रिया को और उदार बनाया जाए तथा पुनर्खरीद संबंधी आवेदनों पर स्वचालित तथा अनुमोदन दोनों मार्गों के तहत विचार किया जाए। स्वचालित मार्ग के तहत, नामोद्दिष्ट एडी श्रेणी I बैंक भारतीय कंपनियों को एफसीसीबी की अवधिपूर्व पुनर्खरीद की अनुमति दे सकते हैं, जो अन्य बातों के साथ इन शर्तों के अधीन होगी कि पुनर्खरीद मूल्य बही मूल्य पर 15 प्रतिशत के न्यूनतम बट्टे पर होगा तथा पुनर्खरीद के लिए भारत या विदेश में धारित वर्तमान विदेशी मुद्रा निधियों और/या नए ईसीबी से प्राप्त निधियों का उपयोग किया जाएगा। अनुमोदन मार्ग के तहत, पुनर्खरीद अन्य बातों के साथ इन शर्तों पर होगा कि यह बही मूल्य पर न्यूनतम 25 प्रतिशत बट्टे पर हो तथा पुनर्खरीद के लिए आंतरिक उपचय से प्राप्त निधियों का उपयोग किया जाए तथा प्रति कंपनी पुनर्खरीद की कुल राशि मोचन मूल्य के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिज़र्व बैंक गतिविधियों पर कड़ी और लगातार निगरानी रखे हुए है तथा वह देशी वित्तीय स्थिरता, मूल्य स्थिरता और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति को अतिक्रमिक करने वाली किसी भी प्रतिकूल बाह्य गतिविधियों के प्रति तुरंत और यहां तक कि पूर्वक्रियात्मक रूप से रेस्पांड करेगा।

8.11 यद्यपि रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में चलनिधि समर्थन देने के लिए कदम उठाए हैं, बैंकों को वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार स्वीकृत सीमा के आहरण की अनुमति देने के लिए सूचित किया गया है। उन्हें ऋण की गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए, जो हमेशा रिज़र्व बैंक के लिए प्रमुख चिंता का विषय रहा है। बैंकों को यह भी सूचित कर दिया गया है कि वे क्षेत्रवार आधार पर ऋणों का मूल्यांकन से करें, मूल्य के प्रति ऋण अनुपात पर निगरानी रखें और अपने ऋण संविभाग को अपने आस्ति-देयता प्रक्षेपणों के अनुरूप समंजित करें।

ऋण सुपुर्दगी और मूल्यन

8.12 पिछले तीन वर्षों में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाने के बाद बैंक ऋण वृद्धि में 2007-08 में कमी आई। ऋण की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए बैंकों ने एसएलआर के अतिरिक्त निवेश को कम कर दिया। बैंकों का एसएलआर निवेश मार्च 2004 के अंत में एनडीटीएल के 41 प्रतिशत से अधिक था जो घटकर मार्च 2008 के अंत में 27.8 प्रतिशत रह गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्व सुदृढ़ बने

हुए हैं हालांकि अल्पावधि में कुछ डाउनसाइड जोखिम हैं जो यह सुझाते हैं कि ऋण की मांग भी सुदृढ़ बनी रहेगी। जहां बैंकों द्वारा उद्योग की ऋण संबंधी सभी वैध अपेक्षाएं पूरी किये जाने की जरूरत है, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि कृषि एवं एसएमई जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है जिनके पास निधियों के अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं हैं तथा जो पूरी तरह से बैंकिंग क्षेत्र पर निर्भर हैं। 2004-05 से 2006-07 तक ऋण में उच्च वृद्धि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकलाप में हुए विस्तार के अनुरूप व्यापक आधारवाली थी। तथापि 2007-08 में कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों को दिए जानेवाले ऋण में गिरावट आई जबकि उद्योग को दिए जानेवाले ऋण में वृद्धि में थोड़ी कमी आई। दूसरी ओर सेवा क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋण में उच्चतर वृद्धि बनी रही। यद्यपि संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण वृद्धि इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के प्रतिसाद में अंशतः कम रही, यह ऊंची बनी रही। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक बैंक ऋण की वृद्धि में काफी बढ़त के बावजूद, ऋण दबाव की धारणा मौजूद है। बाह्य वित्तपोषण तक पहुंच में रुकावट तथा जोखिमों के पुनर्मूल्यन और उच्चतर स्प्रेड के फलस्वरूप कंपनियों की ओर से देशी बैंक ऋण की अतिरिक्त मांग की गयी जिसके कारण सभी क्षेत्रों में ब्याज दरें बढ़ गयीं। इसके अलावा, देशी इक्विटी बाजार आस्तियों की वैश्विक डी-लिवरेजिंग तथा विदेशी बाजारों से प्रतिकूल रुख द्वारा उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुए जिसने बाजारों में पूंजी जुटाना कठिन बना दिया।

8.13 कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह और बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयास जारी रहे। वर्ष के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम संबंधी मानदंडों को और अधिक परिष्कृत किया गया। अब प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य एवं उप-लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर की राशि के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, से संबद्ध हैं। कृषि की ऋणग्रस्तता की समस्या तथा कृषक समुदाय, विशेष तौर पर छोटे और मझौले किसानों, के सामने आनेवाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2008-09 के केंद्रीय बजट में कृषि ऋण माफी संबंधी योजना की घोषणा की। कृषि ऋण माफी और राहत योजना, 2008 के कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड नोडल एजेन्सी हैं। 2006-07 से रिज़र्व बैंक 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण हेतु 2.0 प्रतिशत की ब्याज दर सहायता के रूप में कृषि के लिए सरकार के राहत उपाय चला रहा है (सरकार ने दिसंबर 2008 में 2008-09 के लिए सरकारी अनुदान बढ़ाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया)। इसके अलावा मुर्गीपालन उद्योग, जिसे देश के कुछ हिस्सों में पक्षी इंफ्लूएंजा फैलने से नुकसान हुआ था, की मदद के लिए राहत उपाय किए गए।

8.14 रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त विभिन्न कार्यदलों/समितियों की सिफारिश के आधार पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों तथा अन्य कम सुविधाप्राप्त क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए । बैंकों को सूचित किया गया कि भूमिहीन श्रमिक/बटाईदार/मौखिक पट्टेदार, जो स्थानीय प्रशासन से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असमर्थ थे, अपने व्यवसाय की स्थिति के बारे में हलफनामा प्रस्तुत कर सकते थे। रिज़र्व बैंक ने ऐसे व्यक्तियों को उधार देने की स्व-सहायता समूह (एसएचजी) पद्धति को प्रोत्साहित किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे वर्षा-पोषित क्षेत्रों में किसानों के लिए प्रायोगिक आधार पर ऐसा एक नया प्रोडक्ट शुरू करें, जिससे कुल फसल ऋण आवश्यकता का 80 प्रतिशत अल्पावधि उत्पादन ऋण के रूप में तथा शेष 20 प्रतिशत 'बेजमानती ऋण सीमा' के रूप में जारी किया जाए ताकि नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा के पैटर्न पर साल भर चलनिधि सुनिश्चित की जा सके। रिज़र्व बैंक एसएमई क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। इसएमई क्षेत्र समग्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रोजगार-प्रधान है तथा इसमें निर्यात की काफी संभावना है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम संबंधी नए दिशानिर्देशों में व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और व्यष्टि उद्यमों की संशोधित परिभाषा को हिसाब में लिया गया है। भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) द्वारा

व्यष्टि और लघु उद्यम (एमएसई) ग्राहकों के प्रति बैंकों की वचनबद्धता संबंधी कूट तैयार किया गया जो ऋण के प्रति एसएमई की पहुंच आसान बनाने के लिए तैयार किया गया ऐच्छिक कूट है। रिज़र्व बैंक रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों की जांच कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में एसएमई की तथा ग्रामीण उद्यमों की नई उपभोग और उत्पादन मांगों से निपटने के लिए बैंकों को ऐसी नई सुपुर्दगी प्रक्रिया की तलाश करनी चाहिए जिससे लेनदेन की लागत कम हो तथा वर्तमान में कम सुविधाप्राप्त लोगों तक बेहतर रूप में पहुंचा जा सके। वित्तीय समावेश के छत्र के तहत कुछ बैंक और वित्तीय संस्थाएं इन ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुपुर्दगी की नवोन्मेष सरणियों की खोज पहले से ही कर रही हैं।

8.15 विकसित हो रहे समष्टि आर्थिक वातावरण तथा वैश्विक वित्तीय संकट के फलस्वरूप देशी चलनिधि स्थिति में सख्ती आई है, जिसने बैंकों की उधार दरों पर ऊपरी दबाव डाला है। विभिन्न बैंक समूहों के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की उधार दरों में 2007-08 के दौरान सामान्यतः वृद्धि हुई है। 2007-08 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दरों (बीपीएलआर) में कुल मिलाकर लगभग 75 आधार अंकों की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए मांग और मीयादी ऋणों (निर्यात ऋण से इतर) पर वास्तविक उधार दरों का दायरा मार्च 2007 के 3.15-26.50 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 में 4.00-28.00 प्रतिशत के दायरे में आ गया। बैंक समूहों के बीच बीपीएलआर में उल्लेखनीय घटबढ़ रहा तथापि वाणिज्यिक बैंकों के कुल उधार, निर्यात ऋण तथा लघु ऋणों को छोड़कर, में उप-बीपीएलआर ऋणों का हिस्सा मार्च 2007 के अंत के 78 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर मार्च 2008 के अंत में लगभग 76 प्रतिशत हो गया। बैंकों को मुद्रास्फीति की संभावना, देशी चलनिधि स्थिति और उनकी निधियों की लागत में परिवर्तन के आधार पर अपनी उधार दरों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। बीपीएलआर मौद्रिक सख्ती के समय ऊपरी लचीलापन तथा मौद्रिक नरमी के समय निचला लचीलापन दर्शाते हैं, जो मौद्रिक संप्रेषण प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। इस प्रकार, इस कठोरता के कारण चलनिधि की आसान स्थिति के लाभ उधारकर्ताओं को नहीं मिल पाते हैं।

8.16 दबाव में आ रहे क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए नवंबर/दिसंबर 2008 में किए गए उपायों में निर्यात के लिए पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर ऋण की अवधि 90 दिनों तक बढ़ाना, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा का विस्तार करना तथा अग्रिम की तारीख से 180 दिनों तक अतिदेय बिलों पर पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर लागू करना शामिल हैं। इसके अलावा, सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों में (कृषि तथा एसएमई को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिमों को छोड़कर, जिनके मामले में यह 0.25 प्रतिशत बना हुआ है) तथा कुछ क्षेत्रों में बैंकों के एक्सपोजर पर जोखिम भार में प्रतिचक्रीय समायोजन किए गए, जिन्हें पहले काउंटर-चक्रीय रूप में बढ़ा दिया गया था। रोजगार-प्रधान एमएसई क्षेत्र को ऋण सुपुर्दगी बढ़ाने के लिए सिडबी के लिए 7,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा शुरू की गई। 4,000 करोड़ रुपए की इसी प्रकार की सुविधा एनएचबी के लिए तैयार की जा रही है। इसके अलावा, आवास इकाइयों की खरीद/ निर्माण के लिए व्यक्तियों को उधार देने के लिए बैंकों द्वारा आवास वित्त कंपनियों को स्वीकृत ऋणों को (प्रति परिवार प्रति आवास इकाई 20 लाख रु. तक) कुछ शर्तों के अधीन 31 मार्च 2010 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

वित्तीय समावेशन

8.17 गरीब तथा सुभेद्य समूहों, अलाभप्रद क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों द्वारा सुरक्षित, आसान और वहन करनेयोग्य ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, वृद्धि में तेजी लाने तथा आय की असमानता और गरीबी कम करने की एक पूर्वशर्त है। समान अवसर उपलब्ध कराकर अच्छी तरह कार्य करनेवाली वित्तीय प्रणाली तक पहुंच से आर्थिक और सामाजिक तौर पर बहिष्कृत लोगों को अर्थव्यवस्था में बेहतर रूप में समन्वित करने में तथा विकास में सक्रिय अंशदान करने में एवं आर्थिक आघातों से उनकी रक्षा करने में मदद मिलती है। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, बैंकों को देश के दूरस्थ भागों तक वहनीय मूलभूत सुविधा, कम परिचालन लागत और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा व्याप्ति बढ़ानी होगी, उसके द्वारा छोटे लेनदेनों को आर्थिक

रूप से व्यवहार्य बनाना होगा। बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके; जो अत्यंत सुरक्षित, लेखा-परीक्षा योग्य हो और जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी गयी विभिन्न प्रणालियों के बीच अंतर-परिचालनीयता की अनुमति देने के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत खुले मानकों का अनुसरण किया गया हो; वित्तीय समावेशन के प्रयासों को बढ़ाएं। कुछ बैंकों ने शाखाओं द्वारा दी जानेवाली सेवाओं जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट कार्ड/मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर देश के कुछ भागों में पहले से ही कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं।

8.18 व्यवसाय संपर्कियों (बीसी) के जरिए शाखारहित बैंकिंग समावेशक वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गया है। इस मॉडल में ग्राहकों को जो लाभ मिलता है, उनमें शामिल हैं - शाखा तक यात्रा करने की समय और लागत में बचत, बीसी के साथ काम करने का सुख क्योंकि वह जाना पहचाना होता है तथा दिन में व्यावहारिक रूप से किसी भी समय लेनदेन करने की सुविधा। बीसी के लिए फायदा यह है कि उसके लिए यह आय का वैकल्पिक स्रोत है। बैंक के लिए फायदा यह है कि वे अब तक अछूते खंडों तक पहुंच सकते हैं तथा न्यूनतम लेनदेन लागत पर ग्रामीण बचत जुटा सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने उन संस्थाओं की संख्या निरंतर बढ़ाई है जिन्हें बैंकों द्वारा बीसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मध्यस्थ के रूप में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), व्यष्टि वित्त संस्थाओं (नियमित एनबीएफसी के अलावा) और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों को शामिल करने के अलावा; सेवा-निवृत्त बैंक कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और धारा 25 की कंपनियों (साथ में लगाए गए कुछ प्रतिबंधों सहित) को बीसी के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।

8.19 बैंकों को सामान्य प्रयोजनवाले क्रेडिट कार्डों के तहत बकाया क्रेडिट के 100 प्रतिशत को तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 'नो फ्रिल्स' खातों के विरुद्ध स्वीकृत 25,000 रुपए (प्रति खाता) तक के ओवरड्राफ्टों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत कृषि क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे वित्तीय साक्षरता-सह-परामर्श केंद्रों की स्थापना करें। आम तौर पर लोगों की वित्तीय संपन्नता में सुधार लाने के लिए ऐसा माना जाता है कि वित्तीय साक्षरता असंख्य वित्तीय प्राडक्टों एवं उनके प्रदाताओं में से चुनाव करने के लिए उपभोक्ताओं को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय साक्षरता घरेलू बजट बनाने, बचत योजना शुरू करने, ऋण का प्रबंधन करने और अपने भविष्य के लिए रणनीतिक निवेश निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में व्यक्तियों की मदद कर सकती है।

8.20 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन सूचित करनेवाले जिलों में की गई प्रगति का मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा। आठ राज्यों के 26 जिलों में किए गए अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि यद्यपि कई जिलों को राज्यस्तरीय बैंकर समितियों द्वारा वित्तीय रूप से 100 प्रतिशत समाविष्ट घोषित किया गया, वास्तविक वित्तीय समावेशन इन जिलों में उस सीमा तक नहीं हुआ था। साथ ही वित्तीय समावेशन अभियान के अंग के रूप में खोले गए कई बैंक खातों को मुख्यतः दूरी तथा परिवार के पास नियमित आय न होने के कारण परिचालित नहीं किया गया। वित्तीय समावेशन को अधिक कारगर बनाने के लिए, बैंकों को ऋण एवं बीमा उत्पाद जैसी अन्य सेवाएं प्रदान करने के अलावा खातेदारों के अधिक नजदीक जाकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की जरूरत पड़ेगी। इसे प्रौद्योगिकी तथा मध्यस्थों की लिवरेजिंग का प्रयोग कर विभिन्न माध्यमों से करने की जरूरत पड़ेगी।

व्यष्टि वित्त

8.21 व्यष्टि वित्त विशेषतः दूरस्थ क्षेत्रों में और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए ऋण सुपुर्दगी के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। तथापि, इस क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां हैं। व्यष्टि वित्त

आंदोलन में हुई प्रगति विषम रही है। देश के दक्षिणी भागों में इसकी जड़ें गहरी हैं, जबकि अन्य भागों में प्रगति मंद है। दक्षिणी भाग में व्यष्टि वित्त के सुदृढ़ होने के पीछे कई कारक हैं, यथा व्यष्टि वित्त संस्थाओं और अन्य व्यष्टि वित्त प्रदाताओं की बड़ी मात्रा में मौजूदगी, एनजीओ अथवा संवर्धक एजेंसियों का सुविकसित नेटवर्क तथा मूलभूत संरचना के समर्थन की गुरुतर उपलब्धता। यद्यपि दक्षिणेतर राज्यों में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की गई है, तथापि केंद्रीय, उत्तरी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में एसएचजी-बैंक संपर्क कार्यक्रम, जो एक प्रमुख व्यष्टि वित्त कार्यक्रम है, बढ़ाने के लिए नाबार्ड तथा अन्य सहभागी एजेंसियों द्वारा समंजित प्रयास किए जाने की जरूरत है।

8.22 देश के कुछ हिस्सों से ऐसी रिपोर्ट मिली है कि एमएफआइ द्वारा प्रभारित दरें काफी अधिक हैं। व्यष्टि वित्त सुपुर्दगी की लागत अन्य बातों में निधि की लागत, जोखिम और लेनदेन लागत जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है। चूंकि व्यष्टि वित्त सेवाएं सामान्यतः ग्राहकों के घर पर उपलब्ध करायी जाती हैं, अत: एमएफआइ की परिचालन लागत काफी बढ़ जाती है। यह ग्राहकों पर लगाई जानेवाली अंतिम ब्याज दरों में दिखाई देता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि संस्थाओं की ब्याज दर संरचना सरल हो ताकि ग्राहक उसे समझ सकें। एमएफआइ के पास उपयुक्त पारदर्शी प्रकटीकरण प्रक्रिया भी होनी चाहिए जिससे ग्राहकों द्वारा देय विभिन्न लागत तथा अन्य प्रभार समुचित रूप में प्रकट हों। ग्राहकों को अंतिम लागत कम करने के लिए, एमएफआइ आइटी समर्थित सेवाएं अपना सकती हैं जिससे उधारकर्ताओं को प्रभारित परिचालन लागत और ब्याज दरें कम करने में मदद मिले।

8.23 चिंता का एक और क्षेत्र यह है कि विकास मार्ग पर अग्रसर व्यष्टि वित्त संस्थाओं के पास स्वाधिकृत निधियों की कमी है जो उनका परिचालन बढ़ाने में प्रमुख बाधा है। उनमें से कई सामाजिक रूप से उन्मुख संस्थाएं हैं तथा उनके पास वित्तीय पूंजी की कमी है। फलस्वरूप उनका ऋण-इक्विटी अनुपात अधिक है। नाबार्ड द्वारा स्थापित व्यष्टि वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ) कुछ सीमा तक एमएफआइ की इक्विटी संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद करती है।

8.24 पिछले वर्षों की तुलना में बैंकों से ऋण जुटाना अब व्यष्टि वित्त संस्थाओं के लिए अपेक्षाकृत आसान लगता है। यह परिवर्तन वर्ष 2000 के बाद आया, जब रिज़र्व बैंक ने बैंकों को व्यष्टि वित्त सुपुर्दगी के लिए कोई मार्ग या मध्यस्थ चुनने और ऐसे उधार को उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दायित्व के भाग के रूप में मानने की अनुमति दी । तबसे एमएफआइ को निधि प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने अभिनव प्राडक्ट तैयार किया है और वे इस क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार को अर्थक्षम बैंकिंग प्रस्ताव के रूप में देखने लगे हैं। तथापि, एमएफआइ को निधि प्रदान करने के जोखिम का आकलन करने के लिए बैंकों को सही प्रौद्योगिकी चुनने पर काम करने की जरूरत है । उन्हें एमएफआइ के मूल्यांकन की तथा उनकी ऋण संबंधी जरूरतों का आकलन करने की अपनी क्षमता को सुधारने की भी आवश्यकता है। एमएफआइ की उपयुक्त क्रेडिट रेटिंग से बैंकिंग प्रणाली के सुखद स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस संदर्भ में, नाबार्ड ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसके तहत एमएफआइ की पहली रेटिंग के व्यावसायिक शुल्क का 100 प्रतिशत, 1 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अधीन, उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

8.25 सफल व्यष्टि वित्त कार्यक्रम के लिए, ग्राहकों को उनके द्वारा वांछित रूप में वित्तीय प्राडक्ट उपलब्ध कराने की चुनौती है। एमएफआइ को ग्राहकों की सुविधा के अनुसार लचीले प्राडक्ट का प्रस्ताव करने में समर्थ होना चाहिए। लचीलापन ऋण की राशि, ब्याज दर, किस्तों तथा चुकौती की अवधि के संबंध में हो सकता है। प्रायः कई बार में छोटे-छोटे ऋण की जरूरत होती है, न कि एक बार में बड़े ऋण की। साथ ही, व्यष्टि

उद्यमों की अपेक्षा अन्य श्रेणियों की अपेक्षा से अलग हो सकती है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसके लिए ग्रामीण जनता को अनौपचारिक ऋण प्रदान करनेवालों पर निर्भर होना पड़ता है, है - चिकित्सा व्यय, मृत्यु, विवाह अथवा अन्य सामाजिक कार्यों जैसे आपातकाल के लिए अप्रत्याशित ऋण जरूरतें। अनौपचारिक ऋण देनेवालों पर ऐसे लोगों की निर्भरता कम करने के लिए उपयुक्त व्यष्टि वित्त प्रॉडक्ट ऐसी जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद कर सकते हैं।

8.26 एसएचजी-बैंक संपर्क कार्यक्रम की तीव्र वृद्धि के कारण एसएचजी की गुणवत्ता दबाव में है। यह विशेष रूप से बहियों और खातों के खराब रखरखाव जैसे संकेतकों में दिखाई देता है। एसएचजी की गुणवत्ता में गिरावट को नियंत्रित करने की जरूरत है।

8.27 कई सालों तक यह सूचित किया जाता था कि व्यष्टि वित्त के तहत ऋणों की चुकौती दर 95 प्रतिशत से अधिक थी। वस्तुतः इस क्षेत्र की ऊंची चुकौती दरों को व्यष्टि वित्त की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती थी। तथापि नाबार्ड द्वारा प्रकाशित हाल के आंकड़े यह सुझाते हैं कि व्यष्टि वित्त क्षेत्र में वसूली पहले की तरह अधिक नहीं है। एसएचजी-बैंक संपर्क कार्यक्रम, जो देश का सबसे बड़ा व्यष्टि वित्त कार्यक्रम है, के तहत सूचना देनेवाले 290 बैंकों में से सिर्फ 37 प्रतिशत बैंकों ने 95 प्रतिशत से अधिक वसूली सूचित की तथा लगभग 36 प्रतिशत बैंकों ने 80-94 प्रतिशत के दायरे में वसूली सूचित की। शेष बैंकों में वसूली की दर 80 प्रतिशत से कम थी। तथापि, जहां तक व्यष्टि वित्त संस्थाओं द्वारा वसूली का प्रश्न है, अधिकांश व्यष्टि वित्त संस्थाओं की चुकौती का रिकार्ड 90 प्रतिशत से अधिक है।

8.28 एसएचजी संघों के उदय ने एक और चुनौती प्रस्तुत कर दी है। एक ओर ऐसे संघ सामूहिक सौदाकारी शक्ति, बड़े पैमाने की किफायत का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। दूसरी ओर इस बात के साक्ष्य हैं कि हर अतिरिक्त स्तर लागत बढ़ाने के अलावा, प्राथमिकताओं को कमजोर करता है। तथापि, विशेष रूप से एसएचजी सदस्यों की सौदाकारी शक्ति और जीविका संवर्धन बढ़ाने के रूप में संघों के लाभकारी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने निर्णय लिया है कि एसएचजी सदस्यों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और एक्सपोजर दौरों के लिए मॉडल न्यूट्रल आधार पर संघों का समर्थन किया जाए।

ग्राहक सेवा

8.29 उदारीकरण तथा प्रतिस्पर्धा से काफी फायदा हुआ परंतु अनुभव यह दर्शाता है कि उपभोक्ताओं के हितों को अनिवार्यतः पूरा संरक्षण नहीं मिलता तथा उनकी शिकायतों का उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाता। बैंकिंग क्षेत्र विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के काम में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसने आम आदमी को उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं की अपर्याप्तता के बारे में नियमित रूप से प्रकाश डाला है तथा सेवा के वर्तमान स्तर को बेंचमार्क करने, प्रगति की आवधिक समीक्षा करने, सेवा की सामयिकता और गुणवत्ता को बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकीय विकास को हिसाब में लेते हुए प्रक्रियाओं को युक्तियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ग्राहक सेवा के संबंध में रिज़र्व बैंक का व्यापक दृष्टिकोण यह है कि बैंकिंग सेवाओं के संबंध में आम आदमी को सशक्त बनाया जाए तथा भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के माध्यम से बैंकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया अपनाकर ग्राहक सेवा को सुधारा जाए। बैंकों के बोर्डों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने, बैंकों की अपनी शिकायत निपटान प्रणाली को सुदृढ़ करने, ग्राहकों के साथ सभी सौदों में पारदर्शिता का आग्रह करने, मूल्यन में औचित्य सुनिश्चित करने, बैंकों के ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता के बारे में बैंकों द्वारा खुद पर लगाये गये कोड के अनुपालन का संवर्धन करने तथा बीसीएसबीआइ जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुपालन पर निगरानी रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संबंध में पहल करने के बारे में रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से आइबीए को प्रोत्साहित कर रहा है।

8.30 बीसीएसबीआइ के गठन से समग्र बैंकिंग उद्योग को अधिक ग्राहक उन्मुख बनाने में मदद मिली है। बोर्ड ने ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता के बारे में बैंकों के कूट के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। बैंक प्रभारों के औचित्य पर गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, कतिपय सामान्य रूप से उपलब्ध सेवाओं के लिए बैंकों द्वारा

लगाये गये प्रभारों का आकलन किया गया है। हाल ही के वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने ग्राहक अधिकारों के संरक्षण, गोपनीयता के अधिकार, ग्राहक संबंधी गोपनीयता, ऋण वसूली की उचित प्रथा, देनदार की देयता और आस्ति पर पुनः कब्जा पर बल दिया है।

8.31 ग्राहक सेवा के प्रति उचित ध्यान देने के लिए अब वाणिज्य बैंकों के पास चार गुनी सुविधाएं हैं। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में बैंकों द्वारा प्रयोग की जानेवाली उस पद्धति की पहचान की है जिससे ग्राहकों को नुकसान पहुंचता है अथवा जो बैंकिंग के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। तदनुसार, प्रत्येक मामले में अपनाए जानेवाले सुधारात्मक उपायों के बारे में बैंकों को सूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक का ध्यान जिन कुछ मुद्दों पर गया है उनमें शामिल हैं - बैंकों द्वारा वसूली एजेंट की सेवाएं लेना, टेली मार्केटिंग कॉल का आश्रय बढ़ाना, काउंटर पर नकदी स्वीकार न करना, अवरुद्ध अवधि के साथ जमा योजनाएं तथा बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन। खराब दृष्टिवाले व्यक्तियों को बैंकिंग की सभी सुविधाएं प्रदान करने तथा असमर्थ व्यक्तियों के खाते उनके नियुक्त अभिरक्षकों द्वारा खोले जाने को सुकर बनाने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं, जबकि गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में दावों के निपटान को आसान बना दिया गया है।

8.32 ग्राहक सेवा सुधारने के बारे में बैंकिंग लोकपाल योजना का पुनर्निर्माण एक प्रमुख पहल है। उक्त योजना 1995 में शुरू की गयी तथा उसे 2002 और 2006 में संशोधित किया गया। योजना का कार्यान्वयन रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल द्वारा देश भर के 15 केंद्रों में किया जा रहा है। इस योजना से ग्राहकों की शिकायतें समयबद्ध तरीके से त्वरित और संतोषजनक रूप से निपटाने में मदद मिली है। मार्च 2008 के अंत में लोकपाल को भेजी गयी 89 प्रतिशत शिकायतों का कारगर तरीके से निपटान किया गया तथा सिर्फ 6 प्रतिशत शिकायतें दो महीने से अधिक समय तक लंबित रहीं। तथापि, आनेवाले वर्षों में, ग्राहक सेवा के क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें से विशेषतः मोफुसिल तथा ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना सर्वप्रमुख है। सेवा का मानक तथा सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता भी ऐसा क्षेत्र है जहां और अधिक सुधार किया जा रहा है। ग्राहक शिक्षा तथा बैंकों एवं बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों में कौशल का विकास एक अन्य क्षेत्र है जिस पर आनेवाले वर्षों में ध्यान दिया जाएगा।

बासेल-II का कार्यान्वयन

8.33 बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से भारत बैंकिंग विनियमन एवं पर्यवेक्षण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपना रहा है। तदनुसार, बैंकिंग क्षेत्र सुधार के अंग के रूप में भारत ने 1992 से चरणबद्ध तरीके से बासेल मानदंड अपनाया। वस्तुतः, भारत एक कदम आगे गया और उसने 8.0 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय मानदंड की तुलना में जोखिम भारित आस्तिओं के प्रति पूंजी अनुपात 9.0 प्रतिशत पर निर्धारित किया। इसके अलावा, भारत ने जून 2004 में मोटे तौर पर 1988 के बासेल समझौते के प्रति 1996 के बाजार जोखिम संशोधन के अनुरूप बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार भी निर्धारित किया।

8.34 बड़ी और जटिल बैंकिंग संस्थाओं के उदय तथा जोखिम प्रबंधन में संस्थाओं में बढ़ते हुए परिष्करण को देखते हुए बासेल I के तहत जोखिम भार की स्ट्रेटजैकेट प्रणाली कम सार्थक रह गयी है। इसके अलावा, ऋण जोखिम की माप में सुधार ने उन पूंजीगत नियमों के अंतरपणन के प्रति प्रतिभूतिकरण और ऋण डेरिवेटिव के बढ़े हुए उपयोग को सुकर बनाया। अतः बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने जून 2004 में नया पूंजीगत ढांचा (बासेल II) शुरू किया जो न सिर्फ ऋण और बाजार जोखिमों के लिए अपितु परिचालनात्मक जोखिम तथा अन्य सभी तात्विक जोखिमों के लिए भी बैंकों के लिए पूंजी की आवश्यकता निर्धारित करने हेतु अधिक जोखिम-संवेदनशील दृष्टिकोण प्रदान करता है।

उक्त ढांचे के स्तंभ1 के तहत निर्धारित न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं की अनुपूर्ति पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (स्तंभ 2) तथा बाजार अनुशासन (स्तंभ 3) द्वारा की जाती है। वाणिज्य बैंकों के लिए बासेल II ढांचे के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गयी समय-सारणी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय उपस्थितिवाले भारतीय बैंकों तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों ने 31 मार्च 2008 को बासेल II को अपना लिया। शेष बैंक (आरआरबी तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) 31 मार्च 2009 तक इसे अपनायेंगे।

8.35 मार्च 2008 के अंत में, बासेल I के तहत भारतीय बैंकों का समग्र सीआरएआर 13 प्रतिशत था, जो 9 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से काफी अधिक था। अलग-अलग बैंक के स्तर पर जहां 77 बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से अधिक था, वहीं दो और बैंकों का सीआरएआर 9-10 प्रतिशत के दायरे में था। कुल मिलाकर 41 बैंकों ने मार्च 2008 के अंत तक बासेल II मानदंड अपना लिया, जिनमें से 40 बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से अधिक था तथा एक बैंक का 10 प्रतिशत के नजदीक था।

8.36 बासेल II मानदंड का पूर्ण कार्यान्वयन, मूल/मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत भी, आनेवाले कुछ समय तक बैंकों तथा बैंकिंग पर्यवेक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक दोनों के लिए एक प्रमुख चुनौती बना रहेगा। बैंकों के स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर शाखा सम्बद्धता के जरिए बैंकव्यापी सूचना प्रणाली को अपग्रेड करना अपेक्षित होगा, जिसके लिए राशि अपेक्षित होगी तथा कुछ आइटी संबंधी सुरक्षा के मुद्दे भी सामने आयेंगे। बासेल II का कार्यान्वयन मानव संसाधन कौशल के विकास और डेटाबेस प्रबंधन संबंधी कई मुद्दे भी उठाता है। जिन बैंकों को बासेल II ढांचे के तहत पूंजी की अधिक मात्रा की जरूरत होगी उन्हें पूंजी जुटाने के विभिन्न विकल्प की जांच की भी जरूरत पड़ेगी।

8.37 बासेल II ढांचे में जोखिम की तीन प्रमुख श्रेणियों के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं की गणना हेतु परिष्करण बढ़ाने के कई विकल्प मौजूद हैं। जहां वर्तमान में, बैंकों से अपेक्षित है कि वे ढांचे के तहत उपलब्ध अपेक्षाकृत सरल दृष्टिकोण अपनाएं, वहीं बैंकों को बासेल II ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति रिज़र्व बैंक द्वारा दिये जाने की संभावना है, यद्यपि इस प्रयोजन के लिए एक निश्चित समय सीमा अभी तय की जानी है। उन्नत दृष्टिकोणों की गुरुतर जटिलता को देखते हुए, बैंकों में मानव संसाधन की गुणवत्ता में क्रमिक सुधार, विशेषतः उनमें अपेक्षित मात्रात्मक कौशल डालने के लिए, उक्त ढांचे में अंतरण की एक पूर्वापेक्षा होगी। उन्नत दृष्टिकोणों की तरह रिज़र्व बैंक से यह भी अपेक्षित होगा कि वह बैंकों के आंतरिक मॉडलों को अनुमोदित करे। रिज़र्व बैंक के भीतर अपेक्षित विशेषज्ञता लाना भी एक उल्लेखनीय चुनौती होगी। ढांचे के स्तंभ 2 के तहत रिज़र्व बैंक से यह अपेक्षित होगा कि वह बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया की समीक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्तंभ 2 के तहत बैंकों द्वारा धारित आंतरिक पूंजी उनके सभी तात्विक जोखिम एक्सपोजरों को पर्याप्त रूप में दर्शाये। रिज़र्व बैंक के लिए भी यह एक चुनौती होगी तथा इसकी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा अपेक्षित होगी।

बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली

8.38 बैंकों के सामने कई प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिम यथा अन्य में क्रेडिट, बाजार, परिचालनात्मक, चलनिधि, संकेंद्रण तथा प्रतिष्ठात्मक जोखिम हैं। ये जोखिम आपस में अत्यधिक निर्भर हैं तथा जो घटनाएं जोखिम के एक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं उनका प्रभाव जोखिम की अन्य श्रेणियों के लिए भी हो सकता है। जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक बैंकों को उनकी जोखिम प्रबंधन प्रणालियां सुदृढ़ और अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा जोखिम प्रबंधन के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने पर उचित बल दिया जाता है। बासेल II ढांचा बैंकों को इस बात का अवसर प्रदान करता है कि वे अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में और सुधार लाएं क्योंकि यह सुप्रबंधित बैंकों को पूंजी राहत के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है।

8.39 बाजार में चल रहे उथल-पुथल ने वित्तीय बाजार तथा बैंकिंग क्षेत्र की कार्यप्रणाली में जोखिम प्रबंधन, विशेषतः तरलता जोखिम

प्रबंधन, के महत्व पर पुनः बल दिया है। बाजार की स्थितियों में विपर्यय से यह पता चलता है कि तरलता कितनी शीघ्रता से गायब हो सकती है तथा अतरलता काफी समय तक बनी रह सकती है। साथ ही, हाल ही में वित्तीय बाजार की गतिविधियों ने बैंकों तथा इस प्रकार इसके प्रबंधन द्वारा सामना किये जा रहे तरलता जोखिम की जटिलता को बढ़ा दी है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय परिचालन काफी हद तक संरक्षित हैं, अतः अन्य क्षेत्रों में तरलता में हुआ बेमेल तरलता की देशी स्थिति को तुरंत प्रभावित नहीं करता। परंतु अन्य क्षेत्रों में तरलता की समस्या बने रहने पर तरलता की समग्र स्थिति और बैंकों की शोध-क्षमता प्रभावित हो सकती है। रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए निर्धारित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) दिशा-निर्देशों के अनुसार, उनकी तरलता का पीछा परंपरागत परिपक्वता अथवा नकदी प्रवाह संबंधी बेमेल के जरिए किया जाता है। तरलता जोखिम प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करते हुए इन दिशा-निर्देशों में हाल में कुछ परिवर्तन शुरू किये गये हैं। इस संबंध में, अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं तथा तीव्रतर आकलन और बेहतर तरलता प्रबंधन की जरूरत पर सम्यक विचार करते हुए, संरचनात्मक तरलता विवरण के पहले खंड अर्थात् 1-14 दिन को अधिक कणात्मक बना दिया गया है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे गत्यात्मक तरलता प्रबंधन शुरू करें तथा दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार करें।

8.40 रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा ऐसा अधिक सुदृढ़ तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किये जाने के मुद्दे की जांच कर रहा है, जो बैंकव्यापी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में भलीभांति समन्वित हो। बीसीबीएस ने सितंबर 2008 में 'प्रिंसिपल्स फॉर साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सुपरविजन' प्रकाशित किया, जो सुदृढ़ तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए मानकों में तात्विक रूप से वृद्धि करता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ तरलता जोखिम सहनसीमा की स्थापना, तरल आस्तियों के कुशन के जरिए तरलता का पर्याप्त स्तर बनाए रखने, तरलता जोखिम के पूरे रेंज, जिसमें आकस्मिक तरलता जोखिम शामिल हैं, की पहचान और माप, कठिन तनाव परीक्षण परिदृश्य अभिकल्पित करने और उसके उपयोग तथा बैंकों द्वारा सुदृढ़ एवं परिचालनात्मक आकस्मिक निधीयन योजना की जरूरत के महत्व के बारे में ब्योरेवार दिशा-निर्देश प्रदान करता है। उक्त दिशा-निर्देश में बैंक के तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे की पर्याप्तता तथा तरलता के इसके स्तर का आकलन करनेवाले पर्यवेक्षकों के महत्व पर भी बल दिया जाता है तथा उन उपायों के बारे में सुझाव दिया जाता है जो इनके अपर्याप्त माने जाने पर पर्यवेक्षकों को करना चाहिए। रिज़र्व बैंक शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रलेख में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा, बाजार तथा संस्थागत लचीलापन बढ़ाने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चलनिधि बफ़र इतने बड़े हों कि वे कोई भी आंतरिक और बाह्य आघात झेल सकें। यह प्रचक्रीयता प्रभाव अर्थात् अच्छे समय में जोखिम की अनदेखी करने तथा खराब समय में जोखिम से अत्यधिक बचने की बैंकों की प्रवृत्ति को भी न्यूनतम करेगा।

8.41 वित्तीय बाजार के उथल-पुथल द्वारा प्रभावित विश्व भर की कई वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं की जड़ यह थी कि वे अपने एक्सपोजर से जुड़े जोखिमों का पर्याप्त आकलन करने में असमर्थ थे। जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा जोखिम शासन में अपूर्णता ऐसे एक्सपोजर के संचय का महत्वपूर्ण अंशदायी कारक साबित हुई जिसकी दीर्घावधि जोखिम विशिष्टताएं पहले से अच्छी तरह पहचानी नहीं गई थीं। इस प्रकार, बैंकों में जोखिम प्रबंधन तकनीकों का मूल्यांकन तथा फर्म-व्यापी निरीक्षण को बढ़ाना, आनेवाल कुछ समय के लिए रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी नीति की आधारशिला होगी।

8.42 बासेल II का कार्यान्वयन तरलता और ऋण जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में बैंकों की तनाव परीक्षण प्रथाओं में संशोधन और प्रतिभूतिकृत आस्तियों एवं अन्य तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के

प्रबंधन की कमजोरी से निपटना सुनिश्चित करेगा। पर्यवेक्षकों द्वारा निभायी जानेवाली महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद व्यावसायिक प्रथाओं में व्याप्त गंभीर कमजोरियों से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंकिंग संस्थाओं की होगी।

8.43 अतीत के अन्य संकटों की तरह वर्तमान संकट ने भी यह साबित कर दिया कि आस्ति/वित्तीय बुलबुलों का निर्माण सापेक्षिक आर्थिक ऊपरी प्रवृत्ति के समय तथा ऋण की आसान उपलब्धता के समय होता है। ऐसी अवधि में, खराब ऋण मानक के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर चूकें होती हैं, इस प्रकार वह संकट में अंशदान करता है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भू-संपदा क्षेत्र, पूंजी बाजार और कृषि पण्यों के विरुद्ध दिये गये अग्रिमों के संबंध में बैंकों के एक्सपोजर की पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा की थी। विनियामक और पर्यवेक्षक समय-समय पर ऐसे विघ्नों का सामना करेंगे तथा उन्हें सतर्क रहना होगा। विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर की पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा बैंकों के सतत पर्यवेक्षण का समन्वित अंग हो सकती है।

8.44 पूंजी पर्याप्तता पर विनियमन को सुदृढ़ बनाना वित्तीय स्थिरता के संवर्धन की कुंजी है। भारतीय बैंकों में बासेल II का कार्यान्वयन ठीक उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। तथापि, इस संबंध में यह चुनौती है कि यह देखा जाना है कि बैंक उनके सामने आये जोखिमों के सही आकलन की उनकी योग्यता, इस प्रयोजन के लिए उन्हें उपलब्ध आइटी संबंधी मूलभूत सुविधा की सुदृढ़ता तथा इन जोखिमों की तुलना में पूंजी आबंटन प्रक्रिया के रूप में कितनी अच्छी तरह तैयार हैं।

अनर्जक आस्ति प्रबंधन

8.45 भारतीय बैंकिंग उद्योग की अनर्जक आस्ति का स्तर हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से गिर गया। सभी बैंक समूह तथा अलग-अलग बैंकों के बीच आमतौर पर देखा गया सुधार 2007-08 में जारी रहा। मार्च 2008 के अंत में 75 बैंकों की निवल अनर्जक आस्ति का स्तर 2 प्रतिशत से कम था तथा सिर्फ 2 बैंकों की अनर्जक आस्तियों का स्तर 2 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, 2007-08 के दौरान सफल अनर्जक आस्तियों की कुल राशि में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस प्रकार 2001-02 से देखी जा रही गिरावट की प्रवृत्ति पलट गयी। इसका आंशिक कारण 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि के दौरान हुई उच्च ऋण वृद्धि तथा आंशिक कारण ब्याज दरों का बढ़ना था क्योंकि अधिकांश आवास ऋण चल दर के आधार पर दिये गये हैं। कुछ वर्षों में अनर्जक आस्तियों की कटौती सरकार, रिज़र्व बैंक तथा स्वयं बैंकों द्वारा किये गये समंजित प्रयासों का परिणाम है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हाल के लाभ नष्ट न होने पायें। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अशांति तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके संभावित समस्त आर्थिक प्रभाव, जो सीमांत होगा, का ऋण जोखिम वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। अतः बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अनर्जक आस्तियों में नई वृद्धि न्यूनतम हो तथा वर्तमान अनर्जक आस्तियों की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लायी जाए। इस संबंध में , रिज़र्व बैंक उन कंपनियों के नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जो देश में ऋण सूचना कंपनियों का कारोबार शुरू कर सकती हैं तथा ऋण संस्कृति में सुधार लाने में मदद कर सकती हैं।

8.46 ऋणों की वसूली को सुकर करने के लिए सुदृढ़ संस्थागत ढांचा स्थापित करने हेतु रिज़र्व बैंक तथा सरकार ने कई पहल की हैं। तथापि, 2007-08 में अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि (कुल रूप में) यह सुझाती है कि वसूली की प्रक्रिया में और सुधार की जरूरत तथा गुंजाइश है। अनर्जक आस्ति प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बैंकों के बोर्डों से यह अपेक्षित है कि वे नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित कर उनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसरण की जानेवाली मूल्यन प्रक्रिया को शामिल करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय आस्तियों के आर्थिक मूल्य का उचित रूप में अनुमान बैंकों के बीच अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री पर चुकौती और वसूली की संभावनाओं से उत्पन्न आकलित नकदी प्रवाह के आधार पर लगाया

जाए। बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने तुलनपत्रों का संरक्षण करने के लिए अनर्जक आस्तियां बेचते समय और समझौता निपटानों के दौरान उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से जुड़े अनुमानित नकदी प्रवाह के निवल वर्तमान मूल्य का आकलन करें।

8.47 रिज़र्व बैंक ने सुविचारित तरीके से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड, जोखिमभार और प्रावधानीकरण लागू किया एवं संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम अस्थिरता के साथ आस्ति वृद्धि हो। वैश्विक वित्तीय बाजारों की हाल की गतिविधियों को देखते हुए तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के विशिष्ट तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के मामले में परिवर्तन कारकों, जोखिम भार और प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित शर्तों को संशोधित किया गया। एक्सपोजर मानदंड तथा पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे वर्तमान एक्सपोजर पद्धति का प्रयोग करते हुए ब्याज दर एवं विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेनों तथा स्वर्ण के कारण उत्पन्न क्रमशः अपने क्रेडिट एक्सपोजर और क्रेडिट समतुल्य राशि की गणना करें। ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेनों तथा स्वर्ण के कारण उत्पन्न संविदा के चालू बाजार भाव मूल्य के अनुसार परिगणित ऋण एक्सपोजर अब मानक श्रेणी की ऋण आस्तियों पर लागू प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा को आकृष्ट करते हैं। डेरिवेटिव लेनदेनों के मामले में यदि बैंक को देय कोई राशि जो भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए नकदी में नहीं चुकाई जाती, उसे अग्रिम संविभाग संबंधी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के बारे में निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

8.48 भू-संपदा क्षेत्र द्वारा सामना की जानेवाली कठिनाइयों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2008 को मानक श्रेणी में पुनर्विन्यस्त मानक खातों के आस्ति वर्गीकरण को प्रतिधारित करने के अपवादात्मक/ रियायती उपचार को 30 जून 2009 तक पुनर्विन्यस्त वाणिज्यिक भू-संपदा एक्सपोजरों तक लागू कर दिया गया है। वर्तमान आर्थिक मंदी को देखते हुए अर्थक्षम इकाइयों द्वारा भी नकदी प्रवाह की अस्थायी समस्याओं का सामना किए जाने की संभावना है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में, 30 जून 2009 तक बैंकों द्वारा किया गया एक्सपोज़रों का दूसरा पुनर्विन्यास (वाणिज्यिक भूसंपदा, पूंजी बाज़ार और निजी/ उपभोक्ता ऋणों से इतर) अपवादात्मक विनियामक उपचार के लिए पात्र होगा।

वित्तीय आंकड़ा रिपोर्टिंग प्रणाली

8.49 वित्तीय प्रणाली के विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय जानकारी प्राप्त होती है। हाल का वित्तीय संकट वित्तीय जानकारी मानकीकृत और पारदर्शी फार्मेट में तथा सर्वाधिक अलग-अलग स्तर पर समय पर प्राप्त किये जाने के अत्यधिक महत्व को रेखांकित करता है। इससे वित्तीय जानकारी का अधिक त्वरित और अधिक गुणात्मक विश्लेषण संभव होगा, जिसके द्वारा विनियमनकर्ता वित्तीय संस्थाओं पर निकट से निगरानी रख सकता है तथा जरूरत पड़ने पर कुछ तत्काल सुधारात्मक नीतिगत उपाय अपना सकता है। इसके लिए ऐसी आंकड़ा रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना जरूरी है जिसने लेखांकन मानदंड को मानकीकृत किया हो और ऐसी प्रणाली अपनायी हो जो प्रकटीकरण को आसान बना दे। तथापि, न सिर्फ रिज़र्व बैंक अपितु भारत एवं पूरे विश्व के अन्य विनियामको और रिपोजिटरी को भी एक मानकीकृत और पारदर्शी डेटा रिपोर्टिंग प्रणाली की ओर बढ़ने की जरूरत है। तभी यह संभव होगा कि देशी और वैश्विक स्तरों पर विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों के बीच घनिष्ठ विनियामक समन्वय विकसित किया जाए।

8.50 बाजार सहभागियों के बीच विनियामक दिशा-निर्देशों और नैतिक प्रत्यायन दोनों के जरिए पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण की संस्कृति उत्पन्न करने की जरूरत है। रिज़र्व बैंक ने बासेल II के स्तंभ 3 (बाजार अनुशासन) के बारे में पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं तथा यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यह बैंकों के भीतर, विशेषतः बड़े और जटिल बैंकों तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के भीतर, प्रबंधन नैतिकता के रूप में विकसित हो। रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के निकट लाने के लिए उनके प्रकटीकरण मानदंडों को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। बैंकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुरू किये गये प्रकटीकरण मानदंड को और अधिक बढ़ाने

के लिए बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणों में 'लेखा पर टिप्पणी' के अंग के रूप में उनके द्वारा वर्ष के दौरान जारी किये गये सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी), जिसमें उनके आकलित वित्तीय प्रभाव तथा अतीत में उनके द्वारा जारी और बकाया एलओसी के तहत उनके आकलित संचयी वित्तीय दायित्व शामिल हों, के पूरे ब्योरे प्रकट करें।

8.51 रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन रिटर्न्स फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) कार्यान्वित करके अधिक दक्ष वित्तीय आंकड़ा रिपोर्टिंग प्रणाली की दिशा में पहला कदम पहले ही उठा लिया है। इस प्रणाली को शुरू किये जाने से आंकड़ा सूचित करने और आंकड़ा प्रसारित करने की गति काफी बढ़ गयी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ, देश में सभी बैंकों के लिए ओआरएफएस अपनाना संभव होगा। साथ ही, अधिक संख्या में विवरणियां, निकट भविष्य में ऑसमॉस विवरणियों सहित, ओआरएफएस की परिधि में लाकर उसका विस्तार करने का रिज़र्व बैंक का प्रस्ताव है। इससे रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखना संभव होगा। रिज़र्व बैंक द्वारा हाल में एक्स्टेंसिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) अपनाना वित्तीय आंकड़ों की अधिक दक्ष, मानकीकृत और पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली की दिशा में अगला प्रमुख कदम है। एक्सबीआरएल आधारित आंकड़ा रिपोर्टिंग से अधिक सही तथा भरोसेलायक आंकड़े प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। इससे वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सूचना के उपयोग तथा उसकी पारदर्शिता में सुधार आएगा। शुरुआत के तौर पर, रिज़र्व बैंक ने बैंकों से बासेल II रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की है। वित्तीय विवरण रिपोर्टों सहित अन्य कई विवरणियों तक एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

कंपनी अभिशासन

8.52 वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में कंपनी अभिशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। वित्तीय प्रणाली को स्वस्थ बनाये रखने में तथा उसे आर्थिक आघातों को सहने लायक बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कंपनी अभिशासन में किसी प्रकार की कमजोरी से गंभीर संकट आ सकता है। रिज़र्व बैंक का यह प्रयास है कि भारतीय बैंकों में सुदृढ़ कंपनी अभिशासन संस्कृति पैदा की जाए। इस संबंध में 2004 में निजी क्षेत्र के बैंकों के चुने गये निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड निर्धारित किये गये। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के चुने हुए निदेशकों के लिए भी 'उपयुक्त और उचित' मानदंड निर्धारित किये गये। सामाजिक और पर्यावरणात्मक जबाबदेही बनाने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि वे कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और बनाए रखने योग्य विकास के क्षेत्रों में लागू अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की अद्यतन जानकारी से स्वयं को अवगत रखें। सामाजिक और पर्यावरणात्मक दायित्व का काफी महत्व है क्योंकि बैंकिंग वित्त का कभी-कभी उपयोग ऐसी परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है जिनका पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण सावधानीपूर्वक किया जाए क्योंकि मध्यम से दीर्घ अवधि में विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गयी आलोचना तथा विश्वनीयता में परिणामी कमी के कारण कारोबार की संभावनाओं पर इसका असर पड़ेगा।

8.53 बैंकों के बोर्डों द्वारा की जानेवाली समीक्षाओं के कैलेंडर के कारण उन पर पड़नेवाले भार को कम करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि समीक्षाओं का कैलेंडर वर्तमान चिंताओं को प्रकट करे, कैलेंडर मदों को अप्रैल 2008 में संशोधित किया गया। संशोधित कैलेंडर मदें समीक्षा की महत्वपूर्ण न्यूनतम अपेक्षाओं को रेखांकित करती है तथा बैंक के बोर्डों को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप अतिरिक्त समीक्षाएं निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा। संशोधित अनुसूची, जो जून 2008 से लागू होगी, 'परिचालनों की समीक्षा' तथा 'रणनीति की समीक्षा' नामक दो शीर्षों के तहत होगी। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि कारोबारी योजना - लक्ष्य और उपलब्धि, अनिधिक कारोबार की समीक्षा, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और औद्योगिक

संबंध, नयी भावी कारोबारी/प्राडक्ट व्यवस्थाएं प्रथा मौजूदा कारोबारी/प्राडक्ट व्यवस्थाओं को बंद करने - के लिए रणनीति समीक्षा हेतु बोर्ड की हर बैठक में अलग समय आबंटित किया जाना चाहिए।

भारत में डेरिवेटिव बाजार

8.54 भारतीय वित्तीय बाजार में अब कुछ दशकों से वित्तीय डेरिवेटिव मौजूद हैं। बाजार के खिलाड़ी वायदा संविदाओं, जो शायद देश में सबसे पुराना डेरिवेटिव प्रॉडक्ट है, का व्यापक उपयोग अपने विनिमय दर एक्सपोजर के बचाव के साधन के रूप में कर रहे हैं। कुछ वर्षों में बाजार के खिलाड़ियों को लिखतों का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बाजारों में चरणबद्ध तौर पर विदेशी मुद्रा ऑप्शंस, रेंज वायदा, रेंज उपचय, वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, ब्याज दर फ्यूचर्स तथा करेंसी फ्यूचर्स लागू किये गये। भारत में इक्विटी तथा पण्य बाजारों में ऑप्शंस और फ्यूचर्स खंड अब कुछ समय से कार्यरत हैं। इस प्रकार, एक प्रॉडक्ट श्रेणी के रूप में भारतीय बाजारों में डेरिवेटिव मौजूद हैं तथा इन प्रॉडक्टों का उपयोग बाजार के विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा किया गया है।

8.55 तथापि, डेरिवेटिव प्रॉडक्टों की कुछ श्रेणियों, यथा क्रेडिट डेरिवेटिव, की अनुमति भारतीय बाजारों में अभी दी जानी है। यह स्मरण किया जाए कि रिज़र्व बैंक ने पहली बार मार्च 2003 में जनता के अभिमत के लिए क्रेडिट डेरिवेटिव के बारे में दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया। तथापि, बैंकिंग प्रणाली में उस समय प्रचलित जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की स्थिति को हिसाब में लेते हुए अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना स्थगित कर दिया गया। बाद में, 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गयी कि वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण की क्रमिक प्रक्रिया के अंग के रूप में भारत में सुविचारित तरीके से क्रेडिट डेरिवेटिव लागू करना उचित समझा गया। अतः क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप के बारे में आशोधित दिशा-निर्देशों का मसौदा मई 2007 में जारी किया गया। प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर परामर्श के अगले दौर के लिए अक्तूबर 2007 में दिशा-निर्देशों का दूसरा मसौदा जारी किया गया। तथापि, इस संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश स्थगित कर दिया गया है तथा इनमें अन्य देशों के अनुभव तथा वित्तीय बाजार के वर्तमान संकट से उत्पन्न सीख को ध्यान में रखा जाएगा।

प्रतिस्पर्धा और समेकन

8.56 अविनियमन, निजीकरण तथा उभरते बाजारों में विदेशी बैंकों के प्रवेश के जरिए प्रतिस्पर्धा में तेजी आने के साथ समेकन काफी हद तक बाजार-चालित हो गया है। रिज़र्व बैंक यथासंभव समेकन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहा है क्योंकि छोटे बैंक बड़े पैमाने की किफायत का लाभ उठानेवाले बड़े बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय बैंकिंग उद्योग द्वारा देखे गये समेकन अभियान में सहक्रिया के लाभ उठाने के लिए एक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा सहायक बैंक के पहले अभिग्रहण के साथ और गति आयी है। आनेवाले भविष्य में, समेकन प्रक्रिया द्वारा प्रस्तावित कारोबारी, भौगोलिक, प्रौद्योगिकीय तथा कार्मिक सहक्रियाएं बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ प्रेरक कारक के रूप में कार्य करेंगी।

8.57 हाल में हुए विलय और समामेलन के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है क्योंकि विलय में छोटे बैंक शामिल हैं। तथापि, आगे चलकर परिदृश्य बदल सकता है। सरकार को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति सरकारी क्षेत्र के बैंकों को देनी पड़ सकती है। साथ ही, 2009 में विदेशी बैंकों के रोडमैप की समीक्षा की जानी है। जब कभी ये गतिविधियां होंगी, उन पर निगरानी रखने की जरूरत होगी तथा सावधानीपूर्वक उन्हें दिशा-निर्देश देना होगा ताकि समग्र बैंकिंग दक्षता के हित में बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धी दबावों को बनाए रखा जाए।

8.58 ग्रामीण जनता को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए आरआरबी के पास बहुत बड़ी अदोहित संभावना है। रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए उपाय, यथा आरआरबी के परिचालन में

गुरुतर लचीलापन प्रदान करना, आरआरबी द्वारा परिचालनगत लाभ कमाने की शर्त पर नई शाखाएं खोलने में गुरुतर लचीलेपन की अनुमति देना, सभी व्यवसाय खंडों में वृद्धि तथा आरआरबी के प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन को प्रोत्साहित करना तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, से आशा है कि ये संस्थाएं मजबूत होंगी। साथ ही, वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित पुनर्जीवन पैकेज के चल रहे कार्यान्वयन से यह आशा है कि ग्रामीण सहकारी बैंक वापस सुदृढ़ रूप से वित्तीय तौर पर स्वस्थ हो जाएंगे। प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में पूंजीगत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने तुलनपत्रों में 31 मार्च 2008 के सीआरएआर के स्तर को प्रकट करें तथा उसके बाद हर साल तुलनपत्रों के 'लेखा पर टिप्पणी' में उसे प्रकट करें।

भुगतान और निपटान

8.59 भुगतान प्रणाली की सुरक्षा, सुदृढ़ता और सक्षमता का प्रणालीगत स्थिरता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों के कारगर परिचालन और उचित संचालन के लिए कई पहलें की हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में भुगतान प्रणालियों के सक्षम परिचालन के लिए सुदृढ़ विधिक ढांचा और आधार प्रदान किया गया है। आवश्यकता के आधार पर नई प्रणालियों को प्राधिकृत करने तथा परिचालन के लिए जरूरी प्रणालियों को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भुगतान और निपटान प्रणालियों के प्रभावी पर्यवेक्षण पर जोर दिया जाएगा।

8.60 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों, अर्थात तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), के कारगर परिचालन ने वास्तविक समय/वास्तविक समय के आसपास के आधार पर निधियों के अंतरण/प्राप्ति को सुकर बनाया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस), जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा परिचालन को केंद्रीकृत करना तथा प्रणाली में एकरूपता और दक्षता लाना है, को कार्यान्वित किया गया है। वर्तमान में कार्यान्वित एनईसीएस सिर्फ क्रेडिट अंतरणों के लिए है। इनईसीएस (नामे) सदस्य बैंकों से प्राप्त अनुभव तथा प्रतिपुष्टि के आधार पर बाद में लागू किया जाएगा। भुगतान प्रणालियों में निहित जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बड़े मूल्य के सभी भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में अंतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

8.61 प्रौद्योगिकीय उन्नति का लाभ उठाते हुए चेक छिन्नन प्रणाली (सीटीएस) तथा 'स्पीड समाशोधन' के कार्यान्वयन से कागज आधारित प्रणालियों में दक्षता आई। जहां स्पीड समाशोधन के फलस्वरूप कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) आधारित शाखाओं पर आहरित अंतर-नगर चेकों की तीव्रतर वसूली संभव हुई, वहीं पूरी क्षमता का उपयोग किए जाने पर सीटीएस त्वरित वसूली के अलावा बहुल निपटान को सुकर बनाएगा तथा निपटान चक्र कम करेगा जिससे, बदले में, भुगतान प्रणाली पद्धति का जोखिम कम होगा। मोबाइल टेलीफोन की उपलब्धता और पहुंच तथा निधियों के तीव्रतर अंतरण के लिए उसके आसान उपयोग ने इस प्रणाली के सुरक्षित परिचालन के लिए दिशानिर्देश जारी करना आवश्यक बना दिया। कार्ड/एटीएम सहित विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए बनाई गई मूलभूत सुविधा ने वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न विकल्प खोल दिए।

8.62 रिज़र्व बैंक का उद्देश्य यह है कि देश में परिचालित प्रत्येक भुगतान प्रणाली की प्रक्रिया और प्रोसेस को मानक बनाया जाए। अब अधिकाधिक प्रणालियां प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हैं, अतः प्रत्येक प्रणाली के लिए एक उचित कारोबार सातत्य योजना (बीसीपी) जरूरी है। अपने ग्राहक को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते समय बैंक सेवा प्रभार लगाते हैं जो बैंकों के बीच अलग-अलग है। विभिन्न भुगतान प्रणालियों के सेवा प्रभारों की पद्धति और राशि में एकरूपता लाने और उसे युक्तियुक्त करने की जरूरत है। बाहरी चेकों की वसूली के लिए, तथा एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेनों के लिए ग्राहकों से लिए जा सकनेवाले अधिकतम प्रभार निर्धारित कर एक शुरुआत कर दी गई है। केंद्रीकृत

प्रणाली में समाशोधन और निपटान के आंकड़ों का संग्रह करना विचाराधीन है, जिसमें सुसंगत जानकारी एकत्र की जाएगी, मिलायी जाएगी और प्रसारित की जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

8.63 वित्तीय रूप से सुदृढ़, विवेकपूर्ण रूप से नियंत्रित और कारगर रूप से विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) एक सक्षम वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता में अंशदान कर सकती हैं क्योंकि एनबीएफसी वित्तीय क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा अलग-अलग वित्तीय प्रोडक्ट प्रदान कर तथा जोखिम को वितरित कर अनुपूरक भूमिका अदा करती हैं। वर्ष के दौरान जमा लेनेवाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) से जमा न लेनेवाली एनबीएफसी पर ध्यान केंद्रित करना जारी रहा । जमा स्वीकार करने की पात्रतावाली एनबीएफसी से विश्वास का संकट आ सकता है यदि परिपक्व होने पर उन जमाराशियों की अदायगी में चूक की जाए। जमा न स्वीकार करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी- एनडी- एसआइ) का असफल होना प्रणालीगत तनाव को प्रेरित कर सकता है। जमा देयताएं पूरी करने और आघातों को सहने के लिए अपने सुखद स्तरों को बढ़ाने के लिए दोनों खंडों को सुदृढ़ करने हेतु रिज़र्व बैंक विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रुख अपना रहा है, जिनका एनबीएफसी की वित्तीय सुदृढ़ता और उनके प्रभावी विनियमन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

8.64 सामान्यतः वित्तीय प्रणाली और विशेषतः जमा लेनेवाली संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर पुनः बल देने से उन एनबीएफसी-डी की जमा की मात्रा जमाकर्ताओं के हित के संरक्षण के लिए चालू स्तर पर सीमित रह गई है, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि प्राप्त नहीं किया है। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के मामले में न्यूनतम विनियमन से उत्पन्न व्यवस्थागत चिंताओं का समाधान करने के लिए पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि और प्रकटीकरण संबंधी मानदंडों से संबंधित अपेक्षाएं अधिक कड़ी कर दी गई हैं। चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों पर निगरानी रखने के लिए एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के बारे में एएलएम अनुशासन पर रिपोर्टिंग प्रणाली निर्धारित की गई है। रिज़र्व बैंक ने 50 करोड़ रुपए अथवा अधिक परंतु 100 करोड़ रुपए से कम आस्ति आधार वाली एनबीएफसी-एनडी के लिए परोक्ष निगरानी विवरणी भी निर्धारित की है ताकि इस संबंध में एमआइएस को अधिक सुदृढ़ बनाए जा सके तथा अधिक संख्या में मौजूद इन कंपनियों के बारे में जानकारी बढ़ायी जा सके। उनकी निधीयन अपेक्षा संबंधी मसलों को निपटाने के लिए ,एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को कतिपय शर्तों के अधीन रुपयों में अविकल्पी ऋण लिखतें (पीडीआइ) जारी कर उनकी पूंजीगत निधियां बढ़ाने की अनुमति दी गई। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के सामने आनेवाली अस्थायी चलनिधि संकट का निपटान करने के लिए, अस्थायी उपाय के रूप में अक्तूबर 2008 में उन्हें इस बात की भी अनुमति दी गई कि वे निधियों के अंतिम उपयोग और परिपक्वता जैसी कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदन मार्ग के तहत अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार जुटा सकते हैं। एक अस्थायी सुविधा शुरू की गई है जिससे बैंकों को एनडीटीएल के 1.5 प्रतिशत तक एसएलआर के रखरखाव में छूट के जरिए एनबीएफसी एवं म्यूचुअल फंडों को चलनिधि समर्थन का प्रस्ताव करने की अनुमति मिलती है।

8.65 सूचित निवेश निर्णय करने में निवेशकों को समर्थ बनाने के लिए प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में प्रस्ताव प्रलेख में प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण को आशोधित कर उसमें आस्तियों के अर्जन की तारीख के प्रकटीकरण, आस्तियों के मूल्यन तथा एसआर जारी करते समय ऐसी आस्तियों में प्रतिभूतिकरण/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के हित को शामिल किया गया है। बंधक गारंटी कंपनियों को एनबीएफसी के रूप में मान्यता दी गई है तथा उनके लिए विनियामक ढांचा तैयार किया गया है।

8.66 बड़ी एनबीएफसी के साथ रिज़र्व बैंक की अंतःक्रिया को आवधिक बैठकों एवं वीडियो सम्मेलन के जरिए बढ़ा दिया गया है। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया गया कि वे अपने क्षेत्राधिकार की कंपनियों के साथ बार-बार अंतःक्रिया करें। नियमित आधार पर की गई ऐसी अंतःक्रिया से रिज़र्व बैंक को एनबीएफसी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के प्रतिसाद में त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी जिससे एनबीएफसी क्षेत्र का स्वस्थ विकास और प्रभावी विनियमन संभव होगा।

विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक चुनौतियां

8.67 कुछ वर्षों से बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रणालीगत स्तर पर कई व्यापक

उपाय किए हैं। अन्य के बीच आवास, खुदरा व्यापार और प्रतिभूतिकरण जैसे क्षेत्रों में कुछ सुभेद्यताओं का अनुमान कर हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विवेकपूर्ण उपायों से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को उन समस्याओं से संरक्षित करने में काफी मदद मिली है जिन्होंने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों को प्रभावित किया है। बैंकों पर सामान्य विवेकपूर्ण अपेक्षाएं लागू करने के अलावा, रिज़र्व बैंक ने गतिशील प्रावधानीकरण की नीति की तरह संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर के मामले में प्रतिचक्रीय विवेकपूर्ण उपाय भी क्रमिक रूप से लागू किए हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करते हुए, ऋण, बाजार और परिचालनात्मक जोखिमों के प्रबंधन पर बैंकों को मार्गदर्शी नोट जारी करने के अलावा एएलएम प्रणाली के बारे में दिशानिर्देश भी जारी किए गए।

8.68 वैश्विक वित्तीय प्रणाली अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। भारतीय बैंकों पर इसका उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है, पर इस उथल-पुथल ने सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ स्वस्थ, सक्षम और अच्छी तरह से काम करनेवाली बैंकिंग प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया है। कुछ भारतीय बैंक मुख्यतः उनकी विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं के एक्सपोजर के कारण कतिपय सीमा तक प्रभावित हुए थे। हाल के समय में वैश्विक वित्तीय समेकन प्रक्रिया के फलस्वरूप सीमा पार के बैंकिंग परिचालनों में काफी वृद्धि हुई है। जहां एक ओर सीमापार के बैंकिंग परिचालनों में वृद्धि वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहरा बनाती है, बैंकिंग प्रणाली की क्षमता बढ़ाती है, चलनिधि की उपलब्धता बढ़ाकर उत्पादक क्षेत्रों के लिए निधीयन की लागत कम करती है; वहीं बैंकों के सामने संक्रामक जोखिम भी बढ़ रहा है क्योंकि वित्तीय बाधाएं अधिक आसानी से सीमापार पहुंच जाती हैं। इसने पर्यवेक्षकों को बैंकिंग प्रणाली के समेकित पर्यवेक्षण के प्रति दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें सभी अधिकार क्षेत्रों के बैंकिंग समूह के समग्र परिचालन को कवर किया गया। उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की एक प्रमुख अपेक्षा सीमापार के पर्यवेक्षण में वृद्धि और पर्यवेक्षी सहयोग है। रिज़र्व बैंक भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों का पर्यवेक्षण परोक्ष विवरणियों, अनौपचारिक अंत:क्रिया तथा मेजबान देश के पर्यवेक्षकों के साथ सूचना के विनिमय और आकस्मिक प्रत्यक्ष दौरों के जरिये करता रहा है। वर्तमान में, रिज़र्व बैंक का आंतरिक कार्यकारी दल वर्तमान प्रक्रिया को बढ़ाने और मजबूत करने की दृष्टि से इन पहलुओं की जांच कर रहा है।

8.69 बैंकिंग प्रणाली उनकी सहायक और सहयोगी संस्थाओं के एक्सपोजर के जरिए वित्तीय बाजार के सभी खंडों के प्रति अनावृत है तथा कुछ वर्षों से वित्तीय संगुटों (एफसी) की संख्या बढ़ गयी है। वित्तीय बाजारों में प्रणालीगत उथल-पुथल करने की वित्तीय कंपनियों की संभाव्यता को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने जून 2004 में वित्तीय संगुटों की निगरानी की प्रणाली शुरू की। पर्यवेक्षी प्रक्रिया में विनियामक/पर्यवेक्षी अंतरपणन, अंतर्दल लेनदेनों और एक्सपोजरों के संचालन में थोड़ी दूरी के सौदे, संक्रमण तथा प्रतिष्ठा संबंधी प्रभाव, अविनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत जोखिम, 'इतना बड़ा कि असफल नहीं होगा' संलक्षण से जुड़े नैतिक खतरे, संगुटों की जटिल तथा अपारदर्शी कारपोरेट संरचना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर वित्तीय संगुटों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त ढांचा तैयार किया जा रहा है।

8.70 एक सदी से अधिक समय से मौजूद सहकारी बैंकिंग क्षेत्र संस्थागत ऋण की पहुंच भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य दोनों तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तथापि अधिकांश सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति चिंता का विषय है तथा व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचने में वह एक गंभीर अवरोध साबित हुआ है। क्षेत्र की जटिल संरचना के कारण शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का विनियमन और पर्यवेक्षण एक प्रमुख चुनौती है। यूसीबी के महत्व को स्वीकार करते हुए, मार्च 2005 में रिज़र्व बैंक ने उनके लिए एक विज़न दस्तावेज का मसौदा तैयार किया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि दोहरे नियंत्रण की समस्या क्षेत्र के भीतर की संस्थाओं की कमजोरियों से प्रभावी तरीके से निपटने की इसकी योग्यता में अवरोध उत्पन्न करती है। दस्तावेज के रूप में 23 राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार (बहुराज्य यूसीबी के मामले में) अब तक रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं जिसमें इस क्षेत्र की 99.2 प्रतिशत जमाराशियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 98.6 प्रतिशत यूसीबी शामिल हैं। समझौता ज्ञापन के अंग के रूप में शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय

टास्क फोर्स (टीएएफसीयूबी) गठित किये गये हैं जो राज्य में संभाव्य रूप से अर्थक्षम और गैर-अर्थक्षम यूसीबी की पहचान करेंगे तथा दोनों तरह के बैंकों के लिए क्रमशः पुनर्जीवन मार्ग एवं अविघटनात्मक रूप से निकासी मार्ग की रूपरेखा तैयार करेंगे। इन उपायों ने क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास पैदा किया जो तीन क्रमिक वर्षों अर्थात 2005-06 से 2007-08 तक उनकी जमाराशियों में हुई वृद्धि से स्पष्ट है। 2007-08 में रिज़र्व बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति जारी रखी ताकि अन्य बातों में अतिरिक्त कारोबारी अवसरों के रूप में योजना को और अधिक प्रोत्साहन देकर, नए एटीएम खोलकर तथा विनिमय काउंटरों को शाखाओं में बदलकर समन्वित पर्यवेक्षी/विनियामक ढांचा स्थापित किया जा सके। वर्ष के दौरान यूसीबी के विलय के माध्यम से समेकन की प्रक्रिया में और प्रगति हुई तथा संबंधित सहकारी सोसाइटी के केंद्रीय रजिस्ट्रार/सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा सांविधिक आदेश जारी किए जाने पर कुल 54 विलय किए गए। साथ ही, 31 मार्च 2008 को 269 यूसीबी समापन के विभिन्न चरणों में थे। इन सभी उपायों का कुल मिलाकर यूसीबी के कार्य-निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनके कारोबार में प्रभावी दर से वृद्धि हुई जबकि वर्ष के दौरान परिचालन लाभ और निवल लाभ दोनों बढ़ गए।

ऋण प्रबंधन

8.71 अधिक सुदृढ़ और स्पंदनशील पीडी प्रणाली बनाने के लिए वाणिज्य बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे विभागीय कार्यकलाप के रूप में पीडी संबंधी कारोबार करें। कई बैंकों ने इस कारोबारी मॉडल को अपनाया है। इसने पीडी प्रणाली को मजबूत बनाया है। 2006 में पीडी को सरकारी प्रतिभूति कारोबार में अपनी व्यावसायिक रूपरेखा को प्रधान तौर पर बनाए रखते हुए, अपने कार्यकलापों को विशाखीकृत करने की अनुमति दी गयी। इसने पीडी को सरकारी प्रतिभूति कारोबार से इतर कतिपय अनुमत कार्यकलापों में प्रवेश करने तथा जोखिम कम करने की रणनीति के तौर पर आय के वैकल्पिक स्रोत का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया। रिज़र्व बैंक भी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि बैंकेतर पीडी पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हों तथा उनके द्वारा उठाया गया जोखिम विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर हो। हाल की वैश्विक वित्तीय हलचल के संदर्भ में, यदि भारतीय संस्था के किसी विदेशी मूल को दिवालियापन अथवा चलनिधि की समस्याओं का सामना करना पड़े, तो यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने चाहिए कि भारतीय संस्था पर्याप्त पूंजी से संरक्षित हो तथा इसके देशी प्रतिपक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए।

सारांश

8.72 भारत का वित्तीय क्षेत्र स्थिर और स्वस्थ है। पूंजी पर्याप्तता और वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ जैसे वित्तीय शक्ति के संकेतक सुदृढ़ बने हुए हैं। ऋण की गुणवत्ता को क्षति पहुंचाए बिना ऋण की मांग को पूरी करना एक प्रमुख चुनौती है। प्रणाली के स्तर पर बैंक ऋण में बनी हुई उच्च वृद्धि के संदर्भ में बैंकों को अपने ऋण संविभागों पर कड़ी निगरानी रखनी है तथा उन्हें व्यावसायिक चक्रों की वास्तविकता एवं प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीति उपायों की पहचान करते हुए आस्ति-देयता में अनुचित बेमेल अथवा ऋण की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करनी है। साथ ही, रिज़र्व बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी की कार्यप्रणाली और उनमें बैंकों के एक्सपोजर पर निगरानी रखे हुए है। अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के प्रकाश में तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण इन एनबीएफसी में बैंकों के बढ़ते हुए एक्सपोजर को देखते हुए इन संस्थाओं के लिए पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि और प्रकटीकरण मानदंडों के बारे में अगस्त 2008 में अधिक सख्त विनियम जारी किये गये।

8.73 यद्यपि भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का तनावपूर्ण वित्तीय लिखतों तथा संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रत्यक्ष अथवा उल्लेखनीय एक्सपोजर नहीं है, तथापि उन्हें वित्तीय संकट के महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। पहला, वित्तीय पर्यवेक्षण को वित्तीय नवोन्मेष तथा उभरते हुए नए कारोबारी मॉडलों के पीछे नहीं रहना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए कौशल एवं साधनों को निरंतर अपग्रेड करके नवोन्मेष के आगे रहने की प्रक्रिया में नवोन्मेष का दम नहीं घोंट दिया जाए। दूसरा पाठ अंतर-एजेंसी समन्वय से संबंधित है। वर्तमान संकट का उदय समष्टि वैश्विक असंतुलनों के निर्माण तथा वित्तीय प्रणाली में जोखिमों के दुर्मूल्यन

(मिसप्राइसिंग), जो बदले में अधिक चलनिधि द्वारा प्रेरित था, दोनों में खोजा जा सकता है। वित्तीय स्थिरता के संबंध में केंद्रीय बैंकों, विनियामकों, पर्यवेक्षकों तथा राजकोषीय प्राधिकारियों की संबंधित भूमिकाओं के पुनरावलोकन की जरूरत है, ताकि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय और कारगर भूमिका अदा करने के लिए केंद्रीय बैंकों के पास आवश्यक सूचनात्मक आधार हो। तीसरा पाठ यह है कि बड़े पैमाने पर बेलआउट पैकेजों का असर वित्तीय प्रणाली की विनियामक प्रक्रिया तथा देशों की राजकोषीय स्थिति पर पड़ेगा। इस संदर्भ में जमा बीमा की दक्षता और व्याप्ति एक सुसंगत मुद्दा है। चौथा, खुल रहे संकट से '' वितरित करने के लिए उत्पन्न करें'' मॉडल सहित क्रेडिट बाजारों में विन्यस्त प्राडक्टों और डेरिवेटिवों की कमजोरियां प्रकट हो रही हैं, जिनका समाधान करने की जरूरत है । साथ ही अमरीकी वित्तीय क्षेत्र के विघटित होने जैसी स्थिति का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि बाजार और प्रतिस्पर्धा के काम करने के दिन लद गए। सही पाठ यह है कि बाजार और संस्थाएं कभी-कभी अतिरेक का शिकार हो जाती हैं अतः विनियामकों को सतर्क रह कर तनूकारी जोखिम लेने और वृद्धि को रोकने के बीच सही संतुलन का निरंतर पता लगाते रहना चाहिए। साथ ही, चूंकि उदीयमान और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर संकट का अधिकाधिक असर होने की संभावना है, अतः आगे चलकर दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला, संकट के प्रबंधन में उदीयमान और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन के निहितार्थों को स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा, वैश्विक वित्तीय संरचना के संदर्भ में विकसित देशों की नीतियों और कार्रवाइयों का उदीयमान और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उल्लेखनीय निहितार्थ होने पर उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए।

8.74 सामान्य परिस्थितियों में चलनिधि संबंधी तनावों से निपटने के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने की जरूरत होती है। पूंजीगत अपेक्षाओं की 'प्रचक्रीयता' की भूमिका की जांच एक ऐसे कारक के रूप में करने की जरूरत है जो उछाल और अवनति के प्रभाव को बढ़ा देता है। वित्तीय प्रणाली में बैंकेतर संस्थाओं की भूमिका की भी जांच विनियामक परिप्रेक्ष्य से किए जाने की जरूरत है। इस बात का आकलन करने की भी जरूरत है कि क्या संस्थाओं को इतना बड़ा और इतना जटिल बनाने की अनुमति दी जाए ताकि उनकी समस्याओं का असर पूरी प्रणाली पर व्याप्त हो जाए।

8.75 रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता को काफी महत्व देता है, जिसे मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य भी माना जाता है। रिज़र्व बैंक विनियमन और पर्यवेक्षण में नवीनतम गतिविधियों का उत्कटता से प्रेक्षण कर रहा है तथा संस्थागत सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकूलन देशी स्थितियों में करना जारी रखेगा। बैंकों को अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी व्यावसायिक रणनीतियां और उनके निर्णय प्रणालीगत और समष्टि आर्थिक गतिविधियों के दीर्घतर परिप्रेक्ष्य द्वारा मार्गदर्शित हों, तथा वे वर्तमान आपवादिक घटनाओं द्वारा असम्यक रूप से प्रभावित न हों। यह स्वीकार करने की जरूरत है कि जहां हाल की गतिविधियों के प्रतिकूल असर का सफलतापूर्वक सामना करने में बैंकों की प्रमुख भूमिका है, उनकी सुरक्षा एवं सुदृढ़ता एवं वित्तीय स्वास्थ्य का बने रहना वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा ताकि वृद्धि की गति बनायी रखी जा सके ।